

पत्रांक-7/मु0-01-18/2021 अंश.....

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

कुमार निशांत विवेक,
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना),
बिहार।

पटना, दिनांक.....

विषय:-

स्थानीय निकाय के अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में दिनांक 31.03.2015 के पूर्व नियुक्त शिक्षक, जिनके द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से नियमित डी0एल0एड0 के सत्र-2014-16, 2015-17 तथा 2016-18, में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त प्रथम प्रयास में प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण किया एवं टी0ई0टी0 उत्तीर्ण हैं, को प्रशिक्षणचर्या पूर्णता की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान के संबंध में।

प्रसंग:-

विभागीय पत्रांक-7/मु0-01-18/2021 अंश:-2708 दिनांक 17.09.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-7938/2020, मनोज कुमार एवं अन्य, एल0पी0ए0 संख्या- 456/2021 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम मनोज कुमार एवं अन्य तथा SLP (Civil) Diary No(S).-66035/2025, बिहार सरकार एवं अन्य बनाम मनोज कुमार एवं अन्य में पारित आदेश की पृष्ठभूमि में स्थानीय निकाय के अप्रशिक्षित शिक्षक जिनकी नियुक्ति दिनांक 31.03.2015 के पूर्व हुई हो तथा उन्होंने राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना द्वारा आयोजित शैक्षणिक सत्र 2013-15, 2016-18 एवं 2017-18 में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त प्रथम प्रयास में प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण किया है एवं टी0ई0टी0 उत्तीर्ण है तो उन्हें प्रशिक्षणचर्या पूर्णता की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान का वित्तीय लाभ देते हुए अंतर वेतन का भुगतान करने का निदेश निर्गत किया गया है। वस्तुतः उक्त प्रशिक्षण दूरस्थ शिक्षा (ODL) के माध्यम से दिया गया था।

इस क्रम में कतिपय स्थानीय निकाय के अप्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा अभ्यावेदन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वे दिनांक 31.03.2015 के पूर्व नियुक्त हैं और उनके द्वारा बिहार

विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से डी०एल०एड० के सत्र-2014-16, 2015-17 तथा 2016-18 में नियमित छात्र के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनका परीक्षाफल का प्रकाशन दिनांक 19.01.2019 को किया गया। इस प्रकार उनका दावा है कि नियमित डी०एल०एड० सत्र के अप्रशिक्षित शिक्षक जिन्होंने प्रथम प्रयास में उक्त परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा टी०ई०टी० अर्हता धारण करते हैं, का मामला भी विभागीय पत्रांक-2708 दिनांक 17.09.2026 के समरूप है। अंकनीय है कि इस हेतु बिहार पंचायत/नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2014 के नियम-6 एवं बिहार पंचायत/नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2015 के नियम-5 (i) में क्रमशः अवैतनिक और सवैतनिक अवकाश का प्रावधान किया गया था।

उक्त वर्णित तथ्यों के समीक्षोपरान्त यह निदेश दिया जाता है कि प्रासंगिक पत्र में अंकित मामले के समरूप यदि कोई स्थानीय निकाय के अप्रशिक्षित शिक्षक जिनकी नियुक्ति दिनांक 31.03.2015 के पूर्व हुई हो तथा वे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से डी०एल०एड० के सत्र-2014-16, 2015-17 तथा 2016-18 में नियमित छात्र के रूप में प्रथम प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण किए हों एवं टी०ई०टी० अर्हता धारण करते हों, तो उन्हें भी प्रासंगिक निदेश से आच्छादित करते हुए प्रशिक्षणचर्या पूर्णता की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान का वित्तीय लाभ देते हुए अंतर वेतन का भुगतान करने की कार्यवाई करेंगे।

ज्ञापांक-7/मु०-01-18/2021 अंश-2754

प्रतिलिपि-सभी क्षेत्रीय शिक्ष उप निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

ह०/-

(कुमार निशांत विवेक)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

पटना, दिनांक-21.09.2026

पटना/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा

(कुमार निशांत विवेक)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।